कार्यकारी सारांश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय और राजस्व की जांच से है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।

यह प्रतिवेदन दो भागों में है। **भाग-I** में राज्य सरकार के विभागों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है तथा **भाग-II** में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है। इस प्रतिवेदन में **₹ 58.12** करोड़ की राशि के 11 अनुच्छेद हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं:

भाग-I: राज्य सरकार के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

इस भाग में **₹ 41.19** करोड़ की राशि के आठ अनुच्छेद शामिल हैं जिसमें दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा, अर्थात् **'वाहन और सारथी एप्लीकेशनों की लेखापरीक्षा'** और **'अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का प्रशासन - खान विभाग'**, तथा परिवहन विभाग, स्थान एवं भू विज्ञान विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अन्य अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल प्रमुख जांच परिणामों का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है:

परिवहन विभाग

वाहन और सारथी एप्लीकेशनों की लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग के संचालन में सुधार के लिए सारथी और वाहन एप्लीकेशनों को राजस्थान में क्रमशः सितंबर 2009 और अक्टूबर 2009 से लागू किया था । इन एप्लीकेशनों के उपयोग और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा की गयी। लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2016 से मार्च 2021 तक राजस्थान राज्य में वाहन और सारथी के डंप डाटा जिसमें 10.14 लाख प्रकरण थे का विश्लेषण आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके दुपहिया तथा तिपहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों का किया।

यह देखा गया कि डाटा प्रविष्टि में त्रुटियाँ हुईं, जिसके परिणामस्वरूप वाहन में गलत प्रविष्टियाँ हुईं। 119 प्रकरणों में, वाहनों के पंजीकरण की दिनांक को वाहनों के क्रय की दिनांक से पहले दर्ज किया गया था जिससे पता चला कि वाहन, क्रय की दिनांक से 1 से 74 दिन पहले पंजीकृत किए गए थे। इसके अलावा, 15,584 वाहनों का सकल वाहन भार त्रुटिपूर्ण दर्ज किया गया था, अर्थात् 15,570 वाहनों का वजन शून्य से तीन किलोग्राम तक दर्शाया गया था, जबकि 14 वाहनों का वजन एक लाख किलोग्राम से अधिक दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त, डुप्लीकेट चेसिस या इंजन नंबर वाले 712 वाहन परिवहन विभाग में पंजीकृत थे। सारथी के आंकड़ों के विश्लेषण

में पाया गया कि 166 लर्नर लाइसेंस, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को जारी किये गए। यह इंगित करता है कि ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए जाँचें प्रभावी नहीं थी।

यह भी पाया गया कि बिजनेस नियमों को सॉफ्टवेयर के साथ मैप नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकरण शुल्क और हाइपोथिकेशन शुल्क की कम वसूली के प्रकरण सामने आए।

निर्धारित छह महीने की वैधता के समक्ष, 1,677 भारत स्टेज (बीएस)-III वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र छह महीने से कम और 21,429 वाहनों को छह महीने से अधिक के लिए जारी किए गए थे। बीएस-IV एवं बीएस-VI वाहनों के लिये 3.83 लाख प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एक वर्ष से कम अवधि के लिए जारी किये गए और 3,310 वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी किये गए जबकि निर्धारित मानक वैधता अवधि एक वर्ष थी।

परिवहन विभाग ने वाहन और सारथी एप्लीकेशनों के डाटा की सटीकता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया। सिस्टम में बिजनेस नियमों को शामिल करने की योजनाओं को भी स्वीकार किया गया, जो सटीकता में सुधार हेतु प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सरकार/विभाग इन पर विचार कर सकता है कि:

1. ***डाटा एंट्री की त्रुटियों को सुधारने की आवश्यकता है जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता और शुद्धता बनी रहे;***
2. ***स्थिति को सुधारने के लिए उचित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है जिसमें सिस्टम की कमजोरी की पहचान एवं सुधार सम्मिलित है;***
3. ***वाहन में डाटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किये गए मामलों को सुधारना और ऐसे ही अनियमितताओं को सुधारना महत्वपूर्ण है। यह डाटा की विश्वसनीयता और शुद्धता को बनाये रखने में मदद करेगा;***
4. ***केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कोई प्रणाली विकसित कर सकता है;***
5. ***विभिन्न मॉड्यूलों की उपयोगिता का आंकलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वाहन एप्लीकेशन के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर वाहनों और ड्राइवरों से सम्बन्धित दस्तावेजों के लिए समान मानक स्थापित करने एवं अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करना है;***
6. ***डाटा की शुद्धता के लिए इनपुट और सत्यापन नियंत्रण में सुधार के लिए सिस्टम की समीक्षा करने की आवश्यकता है। एक चेंज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिससे बिजनेस नियमों को त्वरित रूप से प्रणाली में अपडेट किया जा सके, के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियों और भूमिकाओं के साथ बनाया जाना चाहिए।***

वर्ष के दौरान परिवहन विभाग की 12 इकाइयों की लेखापरीक्षा भी की गयी। ध्यान में आई प्रमुख अनियमितताएँ इस प्रकार हैं:

- वाहन स्वामियों ने 680 वाहनों का मोटर वाहन कर राशि ₹ 3.37 करोड़ का भुगतान नहीं किया। तथापि, विभाग ने देय राशि की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।
- एक मुश्त कर राशि ₹ 0.50 करोड़ 81 वाहनों के संबंध में भुगतान नहीं की गयी। तथापि, कराधान अधिकारियों ने बकाया कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।
- वाहन स्वामियों ने 301 वाहनों का एक मुश्त कर राशि ₹ 2.07 करोड़ जमा नहीं कराया। तथापि, कराधान अधिकारियों ने बकाया कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

खान प्राप्तियां

अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का प्रशासन

सरकारी, अर्द्धशासकीय, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थान या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या वित्त पोषित संगठन आदि के कार्यों के निष्पादन के लिए निर्दिष्ट अवधि के भीतर, निर्दिष्ट क्षेत्र से खनिज की निर्दिष्ट मात्रा का उत्खनन तथा निर्गमन के लिए अल्पावधि अनुज्ञापत्र दिये जाते है। अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए "अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का प्रशासन" पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा हेतु खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं के नौ कार्यालयों का चयन किया गया था।

उक्त कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने और अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने के निर्देशों के बावजूद, एक खनि अभियंता के कार्यालय में ऑफ़लाइन प्रणाली के माध्यम से 550 में से 491 आवेदन भौतिक रूप में प्राप्त हुए। इसके अलावा, नौ चयनित कार्यालयों में से किसी ने भी *ई-एसटीपी* जारी नहीं की। यह पाया गया कि चयनित अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों में से किसी ने भी अधिशुल्क निर्धारण के लिए ऑनलाइन रिटर्न जमा नहीं किया था, जबकि निदेशक, खान एवं भूविज्ञान द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। संबंधित अधिकारियों ने भी ई-रिटर्न जमा करना सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की क्योंकि कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं थे।

इसके अलावा, 46 अल्पावधि अनुज्ञापत्र ₹ 13.20 करोड़ की बकाया राशि को अग्रिम जमा किये बिना ही अनियमित रूप से जारी किए गए थे। यह पाया गया कि नमूना-जांच के लिए चयनित 492 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में से 127 अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा कार्य पूरा होने की नियत तिथि के बाद भी रॉयल्टी के आकलन के लिए रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यह विलम्ब दो से 40 महीने का था जिसमें ₹ 411.23 करोड़ की राशि के कार्य आदेश शामिल थे। इसके अलावा, 38 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का मूल्यांकन उद्यमता से नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अवैध रूप से उपभोग किए गए खनिज के मूल्य की मांग कायम नहीं की गई। यह देखा गया कि 3,757 कार्यों में से 2,857 कार्य, राशि ₹ 368.81 करोड़ के अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना निष्पादित किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सरकार/विभाग इस पर विचार कर सकता है कि:

1. ***आवेदनों के ऑनलाईन निपटान तथा संलग्न दस्तावेजों की जांच के लिये एक ऑनलाईन चैक लिस्ट प्रदान करने पर, इससे दक्षता, पारदर्शिता और दस्तावेजीकरण में सुधार के साथ ही निगरानी में भी सहायता होगी। रिक्त/अहस्ताक्षरित आवेदन स्वीकार करने में गलती करने वाले कार्मिकों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिये;***
2. ***अधिशुल्क/फीस आदि का भुगतान न करने वालों की पहचान करने के किए ऑनलाईन प्रणाली में प्रभावी जांच शुरू करने और दोषी कार्मिकों पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिये;***
3. ***अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा ऑनलाइन विवरणी जमा करने के लिये नियमों में प्रावधान जोड़ने और विवरणी जमा न करने पर शास्ती का प्रावधान करना। अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का विवरण ऑनलाइन करने से पारदर्शिता रहेगी तथा यह राजस्व के रिसाव के खिलाफ निवारक भूमिका भी निभाएगा;***
4. ***अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के ऑनलाइन निर्धारण के लिए एक मॉड्यूल विकसित करना जिसका उद्देश्य मैन्युअल निर्धारण से उत्पन्न होने वाले राजस्व के रिसाव को रोकना हो;***
5. ***शुद्ध और त्रुटि रहित मूल्यांकन/निर्धारण सुनिश्चित करने के लिये निर्धारण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना तथा***
6. ***अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के बिना कार्यो के निष्पादन से बचने के लिये खान विभाग की वेबसाइट को निर्माण विभागों और पंचायती राज संस्थानों की वेबसाइट से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालन में तेजी लाना।***

वर्ष के दौरान स्थान एवं भू विज्ञान विभाग के 21 कार्यालयों की भी लेखापरीक्षा की गयी। यह देखा गया कि विभाग ने अनियमित रूप से ईंट मिट्टी का परमिट जारी किया और परमिट धारक को अनुमत्य गहराई से अधिक ईंट मिट्टी की खुदाई करने से रोकने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप अवैध उत्खनन हुआ तथा ₹ 1.16 करोड़ की 0.46 लाख मीट्रिक टन ईंट मिट्टी की क्षपत हुई।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई प्रमुख अनियमितताएं इस प्रकार हैं:

फर्जी बैंक गारंटी के विरुद्ध प्रतिभूति मोचन करने तथा अपने खण्डीय कार्यालयों के मध्य अप्रभावी संचार के कारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एक संवेदक से ₹ 2.27 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा।

गलत सूचकांकों को अपनाने, सूचकांकों की गिरावट की प्रवृत्ति की निगरानी न करने तथा प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की कमी के कारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ₹ 17.04 करोड़ के मूल्य भिन्नता दावों का अधिक भुगतान हुआ।

भाग–II: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन के इस भाग में **'राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की कार्यप्रणाली'** (एक स्वायत्त निकाय) पर एक विषयगत लेखापरीक्षा एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के व्यवहारों की नमूना जांच में पाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उजागर करने वाले दो अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों सहित तीन अनुच्छेद सम्मिलित हैं जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 16.93 करोड़ है।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की कार्यप्रणाली

आरईआरसी अपने विनियम के तहत संस्थाओं से टैरिफ और एआरआर आवेदनों को समय पर जमा करने के लिए बाध्य नहीं कर सका क्योंकि इसके समय पर अनुपालन के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था और इन आवेदनों को जमा करने में 11 दिन से लेकर 428 दिन तक की महत्वपूर्ण देरी हुई। इसके अतिरिक्त, आरईआरसी ने स्वयं टैरिफ आदेश जारी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा को पार कर लिया। वार्षिक आधार पर एआरआर के लिए ट्रू-अप तंत्र का उचित कार्यान्वयन भी आरईआरसी द्वारा प्रभावी ढंग से सुनिश्चित नहीं किया गया था। ये देरी अक्सर विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई अधूरी जानकारी या डाटा के कारण होती है, जिससे आदेशों को समय पर जारी करने में और परेशानी होती है।

आरईआरसी ने एनटीपी 2016 के निर्देशों की अनदेखी की, जो नियामक परिसंपत्तियों के निर्माण को हतोत्साहित करता है, एवं वितरण अनुज्ञाप्तिधारियों को दक्षता में सुधार सुनिश्चित किए बिना, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की लागत कम हो सकती थी, राजस्व अंतर को लगातार बढ़ाए जाने की अनुमति प्रदान की।

एआरआर एवं ट्रूइंग अप में आरओई की अनुमति देने में आरईआरसी के दृष्टिकोण में स्थिरता का अभाव था क्योंकि इसने एआरआर एवं ट्रूइंग अप में आरओई अनुमत्य किए जाने में समान एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण नहीं अपनाया था। क्रय के विद्युत समझौतों, नवीकरण क्रय दायित्व (आरपीओ) के अनुपालन के साथ-साथ निष्पादन के मानक (एसओपी) प्रतिवेदनों की जांच के संबंध में निगरानी तंत्र में कमियां थीं। आरईआरसी ने एसओपी विनियम 2021 में सेवाओं के 16 गारंटीकृत मानक के लिए मुआवजे के स्वचालित भुगतान की व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की थी।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि आरईआरसी विचार कर सकता है कि:

1. ***विनियमों की ठोस अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु प्रासंगिक विनियमों के माध्यम से आवश्यक दंडात्मक प्रावधानों को लागू करे;***
2. ***अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आवेदनों के प्रस्तुतीकरण एवं टैरिफ के निर्धारण के साथ-साथ एआरआर के अनुमोदन हेतु निर्दिष्ट समय-सीमा की ठोस अनुपालना सुनिश्चित करे;***
3. ***वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की दक्षता सुधारने हेतु कठोर उपाय करे एवं राजस्व अंतर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमत करे;***
4. ***आरओई की अनुमति प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक एवं पारदर्शी तंत्र अपनाए, तथा विद्युत क्रय समझौतों, आरपीओ का अनुपालन एवं एसओपी प्रतिवेदनों के संबंध में निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करे; एवं***
5. ***सभी गारंटीकृत सेवाओं के लिए वैध शिकायतों के समक्ष क्षतिपूर्ति के स्वचालित भुगतान करे।***

प्रारूप अनुच्छेद

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड

कंपनी द्वारा नियुक्त ठेकेदार ने न्यूनतम गांरटीकृत विद्युत के उत्पादन में चूक की। कंपनी ने चूक के लिए कार्यवाही करने के बजाए ठेकेदार को अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा किए बिना अनुचित छूट प्रदान की। कंपनी 190.60 लाख इकाईयों की उत्पादन हानि वहन करने के उपरांत भी चूककर्ता ठेकेदार से 2015-2021 हेतु ₹ 9.69 करोड़ की लागू क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने में विफल रही।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कंपनी ने सम्बंधित प्रसारण लाइन की व्यवहार्यता का आंकलन किये बिना दो लाइन बेज की आवश्यकता बतलायी। लाईन कार्य प्रदान करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण ₹ 7.24 करोड़ के प्रसारण प्रभारों का निरर्थक भुगतान हुआ।